

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

.....बनवारी..... बनाम ...गोपाल.. बगोरहा

वाद संख्या...124.../2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
23.09.2021	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से जरिये वकील प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 15/11/21 को पेश हो।</p> <p><i>(विश्वामित्र मीना)</i> उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p> <p>15/11/21</p> <p>पत्रावली आज प्रशासन गांवो के सँग अभिवाण 2021 कैम्प... में पेश हुई। समय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/11/21 को पेश हो।</p> <p>शिथिर प्रभासी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)</p> <p>22/11/21: पत्रावली पेश हुई। <u>वकील वादी उपय</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्तो तलबी/जखाने डाऊ हारा दिनांक 25/04/2022 को पेश हो।</p> <p><u>उपखण्ड अधिकारी</u> जमवारामगढ़, जयपुर</p> <p>25/04/22: पत्रावली पेश हुई। <u>वकील वादी उपय</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्तो तलबी/जखाने डाऊ हारा दिनांक 16/06/2022 को पेश हो।</p> <p><u>उपखण्ड अधिकारी</u> जमवारामगढ़, जयपुर</p> <p>16/06/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा अपडोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/11/22 को पेश हुई।</p> <p><u>उपखण्ड अधिकारी</u> जमवारामगढ़, जयपुर</p>

16/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पारी 29
पत्रावली पूर्वानुसार वास्तो तलबी/जवाब
दिनांक 25/11/22 को पेश हो।

11/11/22 पत्रावली में वादी द्वारा पारिषे अधिवक्ता की पेश
शर्तों के प्रा.पत्र वास्तो पुकरण डिप्टी डिप्टी जिले
अनुसूचित आदेश 23 नियम 1 संपादित था
15। सी.पी.सी. पेश करने पर पत्रावली
तलब की गई। जवाबना पत्र को शामिल
मिलाल किपल जाकर वकील वादी को
सुना। वकील वादी को सुना जाकर
वादी वकील का डिप्टी प्रां पत्र स्वीकार
किपल जाकर पुकरण को इन्ही स्टेज
पर खारिज किपल जाते हैं पत्रावली
फैसल शुभाट होकर नम्बर में कप हो।
बाद इति यालिल इफर हो।

उपरान्त अधिकारी
जयवारासगढ़